न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार बहक श्री आसुराम

जरिये पटवार हल्का भकरी पुत्र श्री घीसाराम

जाति सांटिया नि. भकरी मौलास

मुकदमा नं. 31 / 2017 राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम भकरीमौलास खसरा नम्बर 360 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म सिवायचक (राजकीय भूमि) पर फसल खरीफ संवत 2074 में श्री आसुराम पुत्र श्री घीसाराम बा० जाति सांटिया निवासी भकरीमौलास (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा खन्दक लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अप्रार्थी द्वारा लिखित में जवाब पेश किया। जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम भकरीमौलास ख.न. 360 रकबा 0.0100 है० किस्म सिवायचक बा० पर फसल खरीफ संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर खन्दक लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 5/- प्रति है० का 50 गुणा रूपया 1.00 रू० (रूपये एक रूपया जुर्माना) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी भू. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/17 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

जिला नागौर